न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक / वि.अ. / 100 / 18 / भीलवाड़ा (2018 / 00100)

विभागीय अपील द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद वैष्णव तत्कालीन ग्राम सेवक डाबला चांदा तहसील शाहपुरा हाल निलंबित पटवारी तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 21–09–2016

उपस्थितः– श्री राजेन्द्र प्रसाद वैष्णव तत्कालीन ग्राम सेवक डाबला चांदा तहसील शाहपुरा हाल निलंबित पटवारी तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा।

निर्णय

दिनांक : 20–7–2018

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 22 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 21.9.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 22 के अन्तर्गत प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत जारी पट्टो के संबंध में शिकायत के क्रम में पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार ब्यूरो, अजमेर के द्वारा अभियोजन स्वीकृति चाही गई जो अभियोजन स्वीकृति जिला कलक्टर भीलवाड़ द्वारा उनके आदेश क्रमांक 32339 दिनांक 17–9–2016 प्रदान की गई तत्पश्चात जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपचारी पटवारी को आदेश क्रमांक 72422 दिनांक 21–9–2016 द्वारा निलंबित किया गया।

अपचारी पटवारी श्री राजेन्द्र प्रसाद वैष्णव तत्कालीन ग्राम सेवक डाबला चांदा तहसील शाहपुरा हाल निलंबित पटवारी तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने के फलस्वरूप एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर द्वारा अपचारी पटवारी पर यह आरोप लगाया कि अपचारी पटवारी तत्कालीन ग्राम सेवक ग्राम पंचायत डाबला चांदा पंचायत समिति शाहपुरा हाल लीव रिजर्व पटवारी तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा दिनांक 11–8–2000 को ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के पद पर नियुक्त होकर दिनांक 7–1–2002 को ग्राम

सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत डाबला चांदा पंचायत समिति शाहपुरा जिला भीलवाड़ा के पद पर पदस्थापन के दौरान परिवादी श्री सूरतराम पुत्र श्री रामकुवार निवासी ग्राम बलाड पंचायत समिति डाबला चांदा पंचायत समिति शाहपुरा जिला भीलवाड़ा ने एक शिकायत ब्यूरो मुख्यालय जयपुर भिजवाई जिस पर परिवाद संख्या 174/2012 दर्ज होकर प्राप्त हुई जिसकी जांच की गई तो पाया कि श्री कालू मीणा पुत्र श्री किशन मीणा निवासी बलाड ग्राम पंचायत डाबला चांदा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा ने दिनांक 8–11–2001 को बी.पी.एल. चयनित परिवार कोटे से ग्राम पंचायत में निशुल्क आवासीय भूखण्ड दिलाने हेतु आवेदन किया। जिस पर ग्राम पंचायत डाबला चांदा द्वारा दिनांक 7–1–2002 को ग्राम बलाड पंचायत डाबला चांदा क्षैत्र में बिलानाम भूमि में पट्‌टा जारी किया जबकि नियमानुसार ग्राम पंचायत बिलानाम भूमि में भूखण्ड का पट्‌टा नहीं दे सकती है। इसके अलावा जांच में यह भी पाया कि ग्राम पंचायत डाबला चांदा की सरपंच श्रीमति बरमा देवी मीणा के पति श्री कालू मीणा होने से पंचायत राज अधिनियम की धारा 32 (17) में यह अंकित किया गया है कि सरपंच पंचायत से किसी भी प्रकार का निजी लाभ नहीं लेगा। उक्त नियम की अवहेलना कर सरपंच सचिव ने आपसी मिलीभगत कर अपने पति कालू लाल मीणा को एवं अन्य रिश्तेदारों को नियम विरूद्ध पट्‌टा जारी किया। उक्त प्रकरण में पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर ने अपने पत्र क्रमांक 121–23 दिनांक 29–1–2015 को जिला कलक्टर (भू.अ.) भीलवाड़ा से अभियोजन की स्वीकृति चाही गई। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा उनके पत्र क्रमांक 72340–41 दिनांक 17–9–2016 को अभियोजन स्वीकृति जारी कर अपचारी पटवारी श्री राजेन्द्र प्रसाद वैष्णव को अभियोजन में जांच विचाराधीन होने से जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा सी.सी.ए. नियम 13 के तहत कार्यवाही की जाकर आदेश दिनांक 21–9–2016 से निलंबित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपचारी पटवारी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज की जाकर अपीलान्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलान्ट श्री राजेन्द्र प्रसाद वैष्णव को व्यक्तिशः सुना गया इनका कथन है कि जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–09–2016 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) रूल्स 1958 की घोर अवहेलना में विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने पत्र क्रमांक 67883 दिनांक 20–4–2018 द्वारा टिप्पणी प्रेषित की जिसमें उल्लेखित किया कि श्री राजेन्द्र प्रसाद वैष्णव तत्कालीन

ग्राम सेवक डाबला चांदा तहसील शाहपुरा हाल निलंबित पटवारी तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने के फलस्वरूप एवं भ्रष्टाचानर निरोधक ब्यूरो में जांच विचाराधीन होने से जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा सी.सी.ए. नियम–13 के तहत कार्यवाही की जाकर अपचारी पटवारी को विधि अनुसार निलंबित किया गया है। जो विधिसम्मत है।

उन्होंने टिप्पणी में यह भी कथन किया कि अपीलांट के विरूद्ध अपराध संख्या 567/12 की सूचना पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर के पत्रांक 121–123 दिनांक 29–1–2015 से प्राप्त होने एवं प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति इस कार्यालय के पत्रांक 72340–41 दिनांक 17–9–2016 को जारी की गई। प्रमुख शासन सचिव महोदय कार्मिक (क–3) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.2(157) कार्मिक/क–3/97 दिनांक 07 जुलाई 2010 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार अभियोजन स्वीकृति के साथ–साथ लोक सेवक को निलंबित किया जाना अनिवार्य है। अतः उक्त परिपत्र के क्रम में अपीलार्थी श्री राजेन्द्र प्रसाद वैष्णव तत्कालीन ग्राम सेवक डाबला चांदा तहसील शाहपुरा हाल निलंबित पटवारी तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) रूल्स 1958 के नियम–13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबित किया गया था जो नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित था।

उन्होंने टिप्पणी में यह भी कथन किया कि अपीलांट के विरूद्ध निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा प्रथम में प्रकरण संख्या 567/2012 दर्ज होकर विचाराधीन है। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 7–7–2010 के अनुसार आपराधिक प्रकरणों में लोक सेवक को निलंबन की तिथि से तीन वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है एवं न्यायालय में चालान भी प्रस्तुत कर दिया गया हो तो ऐसे लोक सेवक के बहाली के प्रकरण गठित समिति के समक्ष रखे जायेंगे और समिति प्रत्येक प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर बहाली की अभिशंषा करेगी। साथ ही यदि प्रथम न्यायालय द्वारा लोक सेवक को दोषमुक्त कर दिया जाता है तो ऐसे लोक सेवक को साधारण निलंबन से बहाल किया जा सकता है। चूंकि प्रकरण में अपीलांट के निलंबन को तीन वर्ष एवं न्यायालय में चालान की अवधि एक वर्ष पूर्ण नहीं हुए है तथा न ही प्रथम न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दोषमुक्त किया गया है। अतः तीन वर्ष के उपरान्त ही राज्य स्तरीय कमेटी को निलंबन से बहाली हेतु प्रकरण भिजवाया जा सकता है।

उन्होंने टिप्पणी में यह भी कथन किया कि अपीलांट श्री राजेन्द्र प्रसाद वैष्णव ने ग्राम पंचायत डाबला चांदा में श्री कालूराम मीणा को धारा 32 (17) की

अवहेलना कर कालूलाल मीणा को नियम विरूद्ध निःशुल्क पट्टा जारी कर लाभ पहुंचाने एवं राज्य सरकार को हानि पहुंचाने के फलस्वरूप भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों में जांच विचाराधीन होने से जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा सी.सी.ए. नियम–13 के तहत कार्यवाही की जाकर अपचारी पटवारी को आदेश क्रमांक 72422 दिनांक 21–9–2016 द्वारा निलंबित किया गया। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाई जावे ताकि अपीलार्थी भविष्य में राजकीय कर्तव्यों के निर्वहन में सजग रह सके।

अपचारी कर्मचारी श्री राजेन्द्र प्रसाद वैष्णव तत्कालीन ग्राम सेवक डाबला चांदा तहसील शाहपुरा हाल निलंबित पटवारी तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि प्रार्थी तहसील हुरड़ा में पटवारी के पद पर कार्यरत था। इसी दौरान प्रार्थी के ग्राम सेवक डाबला चांदा के पद स्थापन के दौरान सरपंच एवं अन्य अधिकारियों के द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत जारी पट्टों के संबंध में शिकायत के क्रम में पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार ब्यूदों अजमेर के द्वारा अभियोजन की स्वीकृति चाही गई जो अभियाजन स्वीकृति जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा प्रदत्त की गई तत्पश्चात प्रार्थी को आदेश दिनांक 21–9–2016 द्वारा निलंबित किया गया। प्रार्थी का निलंबन दिनांक 21–9–2016 को कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 7–7–2010 के अनुसरण में बगैर विधि की प्रक्रिया को अपनाये एवं बेवजह किया गया है।

अपचारी कर्मचारी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि अपीलांट के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी किये जाने से पूर्व श्रीमान् जिला कलक्टर द्वारा स्वविवेक का प्रयोग नहीं किया गया। स्वविवेक के प्रयोग के बिना जारी की गई अभियोजन स्वीकृति को आधार मानकर प्रार्थी के विरूद्ध निलंबन आदेश जारी कर दिया। उक्त निलंबन आदेश नियम 13 की पालना किये बिना तथा नियम 13 में प्रावधित परिस्थितियों की अनुपस्थिति में पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अपचारी कर्मचारी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि अपीलाधीन निलंबन आदेश पारित करने से पूर्व जिला कलक्टर महोदय द्वारा निलंबन मात्र कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 7–7–2010 की अनुपालना में किया गया है जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परिपत्र दिनांक 7–7–2010 को सलाहकारी घोषित किया गया है। उक्त परिपत्र बाध्यकारी नहीं है तथा प्रत्येक स्थिति में परिपत्र की पालना में कर्मचारी को निलंबित किया जाना आज्ञात्मक नहीं है कर्मचारी को निलंबित किये जाने से पूर्व निलंबन के कारणों एवं परिस्थितियों पर विचार कर निलंबन किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होने पर

सकारण आदेश पारित कर निलंबन आदेश पारित किया जा सकता है। किन्तु अपीलार्थी के प्रकरण में निलंबन की कोई आवश्यकता विभाग को अथवा विभागाध्यक्ष जिला कलक्टर को प्रतीत नहीं होते हुए भी मात्र 7–7–2010 के परिपत्र की त्रुटिपूर्वक पालना में अपीलार्थी को निलंबित किया गया है जो विधिविरूद्ध है।

अपचारी कर्मचारी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि प्रार्थी पर यह आरोप लगाया गया कि वर्ष 2001 में आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान में ग्राम पंचायत डाबला पंचायत समिति शाहपुरा में प्रार्थी जो कि ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव था उसके द्वारा नियम विरूद्ध पट्टे जारी कर दिये गये, वर्ष 2001 के पट्टा प्रकरण की जांच में वर्ष 2016 में प्रार्थी के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति चाही गई एवं बगैर विचार किये त्रुटिपूर्वक दी गई अभियोजन स्वीकृति के आधार पर प्रार्थी को बेवजह निलंबित किया गया जबकि प्रार्थी वर्तमान में ग्राम सेवक के पद पर पदस्थापित भी नहीं है तथा किसी भी प्रकार से जांच अथवा ट्रायल को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि प्रार्थी का चयन पटवार परीक्षा में हो जाने के कारण प्रार्थी पटवारी के पद पर कार्यरत है। अतः प्रार्थी का निलंबन विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपचारी कर्मचारी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि प्रार्थी का निलंबन आदेश परिपत्र दिनांक 7–7–2010 पर आधारित होने से भी निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि उक्त परिपत्र को माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर द्वारा विभिन्न न्यायिक निर्णयों में विचार करने के उपरान्त बाध्यकारी एवं आज्ञाकारी नहीं माना गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पीटीशन नम्बर 437/2007 निर्णय दिनांक 29.4.2008, समरथ सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, 2010 (1) WLC RAJASTHAN 562, प्रेम प्रकाश माथुर बनाम राजस्थान राज्य 2006 ICDR 291 (RAJASTHAN), ओम प्रकाश यादव बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी. सिविल रिट पीटीशन नम्बर 8759/2014 एवं कई निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि नियम 13 में निलंबन का प्रावधान होते हुए भी प्राधिकृत अधिकारी को निलंबन से पूर्व निलंबन के कारणों पर विचार कर सकारण निलंबन आदेश पारित किया जाना चाहिए बगैर कारणों के तथा बेवजह निलंबन राज्य एवं कर्मचारी दोनों के हितों के प्रतिकूल है। उक्त निलंबन आदेश प्रार्थी के विरूद्ध गलत कारणों से जारी किया गया है निलंबन की लम्बी अवधि व्यतीत हो चुकी है किन्तु आज दिनांक तक प्रार्थी के विरूद्ध अभियोजन द्वारा चार्जशीट भी न्यायालय में पेश नहीं की गई है, 2001 से संबंधित जांच को आधार मानकर दिनांक 21–9–2016 को निलंबन आदेश पारित किया जाना

पूर्णतया विधिविरूद्ध है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर निलंबन आदेश निरस्त कर पुनः बहाल करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने अपचारी कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे स्पष्ट है कि श्री कालू मीणा पुत्र श्री किशन मीणा निवासी बलाड ग्राम पंचायत डाबला चांदा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा ने दिनांक 8–11–2001 को बी.पी.एल. चयनित परिवार कोटे से ग्राम पंचायत में निशुल्क आवासीय भूखण्ड दिलाने हेतु आवेदन किया जिस पर ग्राम पंचायत डाबला चांदा द्वारा दिनांक 7–1–2002 को ग्राम बलाड पंचायत डाबला चांदा क्षैत्र में बिलानाम भूमि में पट्टा जारी किया। जबकि नियमानुसार ग्राम पंचायत बिलानाम भूमि में भूखण्ड का पट्टा नहीं दे सकती है। इसके अलावा जांच में यह भी पाया कि ग्राम पंचायत डाबला चांदा की सरपंच श्रीमति बरमा देवी मीणा के पति श्री कालू मीणा होने से पंचायत राज अधिनियम की धारा 32 (17) में यह अंकित किया गया है कि सरपंच पंचायत से किसी भी प्रकार का निजी लाभ नहीं लेगा। उक्त नियम की अवहेलना कर सरपंच सचिव ने आपसी मिलीभगत कर अपने पति कालू लाल मीणा को एवं अन्य रिश्तेदारों को नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि पट्टा जारी करने हेतु सरपंच की अध्यक्षता में समिति के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की जाती है उसमें प्रस्ताव पारित कर ही पट्टा जारी किया जाता है। सरपंच द्वारा अपने रिश्तेदारों को बिलानाम भूमि में पट्टे जारी किये गये थे जो विधिसम्मत नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि सरपंच द्वारा अपने निजी रिश्तेदारों के नाम जारी किये गये पट्टे अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपने निर्णय दिनांक 26–9–2013 द्वारा निरस्त कर दिये गये। साथ ही तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत डाबला चांदा पंचायत समिति शाहपुरा के विरूद्ध राज0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत कार्यवाही किये जाने हेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् भीलवाड़ा को भी लिखा गया था। उक्त प्रकरण में तत्कालीन सरपंच एवं सचिव द्वारा बिला नाम भूमि में जारी निशुल्क पट्टे अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा उनके निर्णय दिनांक 26–9–2013 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 15/2012 निगरानी बउनवान लादू बनाम शिवराज में पारित निर्णय द्वारा निरस्त कर दिये गये थे तो इसमें राज्य सरकार को किसी प्रकार की कोई राजस्व हानि होना प्रतीत नहीं होता है। साथ ही उक्त प्रकरण वर्ष 2002 का है और पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर ने अपने पत्र कमांक 121–23 दिनांक 29–1–2015 द्वारा जिला कलक्टर

(भू.अ.) भीलवाड़ा से अभियोजन की स्वीकृति चाही गई। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा उनके पत्र क्रमांक 72340—41 दिनांक 17—9—2016 को अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है। जबकि उक्त प्रकरण में तत्कालीन सरपंच एवं सचिव द्वारा जारी निःशुल्क पट्टे दिनांक 26—9—2013 को ही निरस्त किये जा चके थे तो उक्त आधार अपचारी पटवारी को निलंबित करने का कोई आधार नहीं बनता है। यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर द्वारा उनके कार्यालय में प्रकरण वर्ष 2002 में दर्ज हो गया था तो इतने विलम्ब के पश्चात अभियोजन की स्वीकृति किस आधार पर चाही गई । अनुसंधान अधिकारी को अनुसंधान में इतना विलम्ब क्यों हुआ? जबकि पट्टे दिनांक 26—9—2013 को ही निरस्त किये जा चुके थे तो उक्त प्रकरण को इतनी लम्बी अवधि तक चलाये जाने का कोई औचित्य ही नहीं था इसी स्तर पर प्रकरण को समाप्त किया जा सकता था। कार्मिक विभाग जयपुर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 7—7—2010 को माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर द्वारा विभिन्न न्यायिक निर्णयों में विचार करने के उपरान्त बाध्यकारी एवं आज्ञाकारी नहीं माना गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पीटीशन नम्बर 437/2007 निर्णय दिनांक 29.4.2008, समरथ सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, 2010 (1) WLC RAJASTHAN 562, प्रेम प्रकाश माथुर बनाम राजस्थान राज्य 2006 ICDR 291 (RAJASTHAN), ओम प्रकाश यादव बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी. सिविल रिट पीटीशन नम्बर 8759/2014 एवं कई निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि नियम 13 में निलंबन का प्रावधान होते हुए भी प्राधिकृत अधिकारी को निलंबन से पूर्व निलंबन के कारणों पर विचार कर सकारण निलंबन आदेश पारित किया जाना चाहिए बगैर कारणों के तथा बेवजह निलंबन राज्य एवं कर्मचारी दोनों के हितों के प्रतिकूल है। उक्त निलंबन आदेश प्रार्थी के विरूद्ध गलत कारणों से जारी किया गया है निलंबन हुए लम्बी अवधि व्यतीत हो चुकी है किन्तु आज दिनांक तक प्रार्थी के विरूद्ध अभियोजन द्वारा चार्जशीट भी न्यायालय में पेश नहीं की गई है, 2001 से संबंधित जांच को आधार मानकर दिनांक 21—9—2016 को निलंबन आदेश पारित किया जाना पूर्णतया विधिविरूद्ध है।

अपचारी कर्मचारी श्री राजेन्द्र प्रसाद वैष्णव तत्कालीन ग्राम सेवक डाबला चांदा तहसील शाहपुरा हाल निलंबित पटवारी तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किये गये कथन एवं जवाब से सहमति व्यक्त करते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 22 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, भीलवाड़ा पारित निलम्बन आदेश दिनांक 21—09—2016 को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपचारी कर्मचारी की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का आदेश क्रमांक प.1ख 17(1)भू.अ. /विजा/16 72422 दिनांक 21—09—2016 निरस्त किया जाकर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद वैष्णव तत्कालीन ग्राम सेवक डाबला चांदा तहसील शाहपुरा हाल निलंबित पटवारी तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा को बहाल किया जावे किन्तु फिल्ड में पदस्थापित नहीं कर तहसील मुख्यालय पर ही लीव रिजर्व पटवारी के रूप में नियुक्त किया जावे। अपचारी पटवारी द्वारा उनके विरूद्ध जारी अभियोजन स्वीकृति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण एवं इस प्रस्तुत प्रकरण बाबत अन्य किसी भी न्यायालय में विचाराधीन अन्य प्रकरण इस निर्णय से प्रभावित नहीं होंगे तथा संबंधित न्यायालय द्वारा पारित होने वाले निर्णयों अनुसार कार्यवाही की जावे। निर्णय की सूचना संबंधित को भी दी जावें।

(हनुमान सहाय मीना),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर